

संविधान सभा में महिला सदस्यों के वैचारिक मतों का योगदान (1946-1950): एक ऐतिहासिक अध्ययन

शिवानी प्रजापति¹, अशोक अहिरवार²

¹ शोधार्थी, इतिहास विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, भारत

² विभाग-इतिहास, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: Tel: +91 9425170725, ashokahirwar1963@gmail.com

सारांश - संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में राष्ट्र के आदर्श, उद्देश्यों की कार्यसिद्धि हेतु अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए और इन विचारों पर संविधान सभा में बहस की गई। अगर हम आदर्शों और उद्देश्यों की बात करें तो इनमें स्वतंत्रता, समानता, संघवाद, प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का विरोध, लैंगिक न्याय, हिन्दू कोड बिल जैसे मुद्दे थे। हमारे भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ जब भारत औपनिवेशिक शासकों की जंजीरों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। इन महिलाओं का संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है जहां महिलाओं ने अपनी साहसिकता और समर्पण से राजनीतिक चेतना अर्जित की, और संविधान सभा के गठन तक पहुंची जहां महिला सदस्यों ने अपने विचार, मुद्दे रखे और बहस भी की इन महिला सदस्यों ने भारत के भविष्य को आकार देने में अपना योगदान दिया। यह एक ऐसा दौर था जब सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल अपने चरम पर थी और महिला सदस्यों ने अपने अनुभवों के माध्यम से संविधान सभा में अपने-अपने मुद्दे रखे महिलाओं की यही भागीदारी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। संविधान निर्माण के दौरान पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की जिन्होंने आजादी के आंदोलनों में कदम से कदम मिलाकर अपनी सहभागिता को प्रदर्शित किया इन महिलाओं में एनी बैस्कारिन, हंसा जीवराज मेहता, दक्षायणी बेलायुधन, राजकुमारी अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन के अलावा और भी महिलाएं थीं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा की। इन महिलाओं की संख्या और प्रभाव सीमित होने के बावजूद भी उनके योगदान ने संविधान को प्रगतिशील बनाए जो आज हर एक भारतीय नागरिक की जरूरत हो गई है। इस पेपर का उद्देश्य नवनिर्मित भारत के निर्माण के लिए संविधान सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के वैचारिक मतों का मूल्यांकन करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों, सभा में रखे गए मुद्दे और उन मुद्दों पर हुई बहस को रेखांकित करना तथा इनके प्रयासों ने संवैधानिक प्रावधानों को कैसे और कहाँ तक प्रभावित किया? महिलाओं की बहस के माध्यम से हुए प्रमुख परिवर्तनों की ऐतिहासिक समीक्षा को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

मुख्य शब्द—भारतीय संविधान सभा, संविधान, महिला सदस्य, वैचारिक मुद्दे, बहस, समानता, न्याय

प्रस्तावना—भारतीय संविधान विश्व के सबसे प्रगतिशील और समावेशी संवैधानिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है यह न केवल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों का भी प्रतीक है। औपनिवेशिक शासन के बाद भारतीय संविधान सभा के सामने यह दायित्व था की वह एक ऐसा संविधान तैयार करें जो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और समानता दे चाहे वह पुरुष हो या महिला। संविधान सभा जिसने 1946 से 1950 तक इस भारतीय संविधान को आकार दिया जिसमें 389 सदस्य थे और इनमें केवल 15 महिलाएं थी। यह शोध पत्र संविधान सभा में महिला सदस्यों द्वारा अपने वैचारिक मतों का योगदान पर केंद्रित है जो इन महिलाओं की भूमिका के साथ-साथ उनके वैचारिक

मतों को भी उजागर करने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा पहलू है जो ऐतिहासिक लेखन में अक्सर उपेक्षित रहा है। यह न केवल संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को समझाने का प्रयास करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे इन महिलाओं ने एक नवजात राष्ट्र की नींव में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के बीज बोए। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दक्षायणी बेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, मालती चौधरी, रेणुका रे, कमला चौधरी, बेगम ऐजाज रसूल और अन्य महिलाओं ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया बल्कि संवैधानिक बहसों में भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की। हंसा मेहता ने संविधान सभा की बहसों में लैंगिक न्याय, अधिकारों, समानता, हिंदू कोर्ट बिल, महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकार, तलाक संबंधी अधिकार रखे, तो वही अम्मू स्वामीनाथन और दक्षायणी बेलायुधन ने मौलिक अधिकारों के मसौदे पर बहस में भाग लिया संविधान सभा के पूरे कार्यकाल के दौरान 15 महिलाएं संविधान सभा का हिस्सा रही जिनमें से 10 ने ही बहस में भाग लिया इन महिला सदस्यों ने लगभग 2% चर्चाओं में योगदान दिया दुर्गाबाई देशमुख ने सबसे ज्यादा शब्दों में संविधान सभा में अपनी भागीदारी की और अपना मुद्दा रखा इन्होंने संविधान सभा में न्यायपालिका पर विस्तार से चर्चा की है। संविधान सभा में महिला सदस्यों ने कई मुद्दों पर हस्तक्षेप किए जिनमें शिक्षा, समान अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, श्रम सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारियों जैसे प्रभावशाली मुद्दों पर भी तर्क प्रस्तुत किए। भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय संविधान एक समावेशी और लोकतांत्रिक दस्तावेज बने जो स्त्री-पुरुष समानता के सिद्धांतों को अपनाए इन 15 महिला सदस्यों का दृष्टिकोण केवल महिलाओं तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने समाज के हर वंचित वर्ग की आवाज को भी उठाया।

महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाज में अपनी आवाज उठाई और संविधान सभा में अपने विचार और मुद्दे रखे और इन्होंने संविधान को एक प्रगतिशील दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा में महिला सदस्यों द्वारा जो मुद्दे रखे गए उन पर तर्क-वितर्क तथा उनके वैचारिक मतों का योगदान, तथा यह समझना कि इन महिला सदस्यों के प्रयासों ने संवैधानिक प्रावधानों को कैसे और कहाँ तक प्रभावित किया?

संविधान सभा का गठन उस समय हुआ जब भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन रहा था। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। 1947 के विभाजन के बाद यह संख्या 299 हो गई। इसका पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ इसके अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे इसका उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत की विविधता को समेटे हुए हो तथा सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करें। संविधान को अंतिम रूप देने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए। जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेंद्र

प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, बी. आर. अंबेडकर इसके प्रमुख नेता थे। संविधान सभा का उद्देश्य केवल आगामी शासन का ढांचा बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसे समाज की रचना थी जो औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानताओं से मुक्त हो। संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे स्वयं असमानताओं से जुड़ी और अपने इन्हीं अनुभवों को वैचारिक मतों के जरिए संविधान सभा में रखी। हमारे भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हुआ जब भारत औपनिवेशिक शासन की जंजीरों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर रहा था।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां महिलाओं ने अपनी साहसिकता और समर्पण से राजनीतिक चेतना अर्जित की और संविधान सभा के गठन तक पहुंची और जहां उन्होंने भारत के भविष्य को आकार देने में योगदान दिया। यह केवल पुरुषों का संघर्ष नहीं था बल्कि महिलाएं भी इसमें कदम से कदम मिलाकर चली। इस संदर्भ में महिलाओं की स्थिति बहुत जटिल थी। 19वीं सदी के अंत तथा 20 वी सदी के प्रारंभ में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं को शिक्षा और अपने अधिकारों की ओर प्रेरित किया। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने पुणे में पहला बालिका विद्यालय खुला, और लड़कियों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया तो वही पंडिता रमाबाई ने भी विधवाओं के लिए आश्रम बनवाए, समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने विलियम बैंटिक की मदद से सती प्रथा को 1829 में धारा 17 द्वारा समाप्त कराया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी ने महिलाओं को अहिंसात्मक प्रतिरोध का हिस्सा बनाया 1930 में नमक सत्याग्रह तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इसके उदाहरण हैं। सरोजिनी नायडू ने दांडी से धरसाना का नेतृत्व किया तो वहीं अरुणा आसफ अली ने 1942 में भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। इन्हीं सक्रियताओं ने महिलाओं को संविधान सभा में प्रवेश का अवसर दिया। यह वह दौर था जब महिलाएं लंबे समय से सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी रूप से दबी हुई थी तभी स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से इन्होंने अपने आप को सार्वजनिक जीवन में उभारा। जैसे कि हम ने देखा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और इस संदर्भ में ही संविधान सभा में महिलाओं की उपस्थिति को संभव बनाया। हालांकि उनकी संख्या सीमित थी लेकिन उस समय का सामाजिक माहौल पितृसत्तात्मक धारणा वाला था जहां महिलाओं को राजनीतिक, बौद्धिक और कानूनी मंचों पर गंभीरता से लेना असामान्य था।

प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा मिला हुआ था पतंजलि एवं कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी हालांकि बाद में (लगभग 500 ईसा पूर्व) के साथ ही महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है बाबर और मुगल साम्राज्य में इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसायत ने भी महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया भारत में महिलाओं को दासता, प्रथाओं और बंदिशों का भी सामना करना पड़ा आधुनिक समय में भी स्त्रियों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आज भी संविधान सभा में महिलाओं की उपस्थिति कुल का लगभग 14% है और संविधान सभा के निर्माण के समय भी इसमें 15 महिलाएं उपस्थित थी जो कुल का लगभग 4% उसे समय की वास्तविकता को दर्शाती है संविधान सभा की इन 15 महिला सदस्यों में से कई शिक्षिका, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थी और उदाहरण के लिए हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व कर चुकी थी अम्मू स्वामीनाथन, बेगम

एजाज रसूल, लीला राय, रेणुका रे, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी इनका चयन प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से हुआ। सरोजिनी नायडू एवं विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस की प्रभावशाली नेत्रियां थी इनकी पृष्ठभूमि अलग-अलग थी। वह मौलिक अधिकार, उप समिति, नियम समिति, योजना समिति जैसी कई समितियों में शामिल हुई और अपने विचारों के माध्यम से बहसों में सक्रिय रही। संविधान सभा में महिलाओं की कम संख्या सामाजिक और राजनीतिक सीमाओं को दर्शाती है लेकिन उनकी प्रभावशाली उपस्थिति असाधारण थी। महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में साहस दिखाया और संविधान सभा में उस अनुभव को राष्ट्र निर्माण में बदला उनकी सीमित संख्या और पितृसत्तात्मक बाधाओं के बावजूद भी उनकी सक्रियता ने संविधान सभा को प्रभावित किया। संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भले ही कम था लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और अपने अनुभवों को साझा किया। संविधान सभा में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की वकालत की गई ताकि वे शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त कर सकें। परंतु यह यात्रा इतनी सहज नहीं थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास किया, बहसों में भाग लिया और अपने विचारों से संविधान को समृद्ध किया भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के व्यक्तिगत संघर्षों को समझने का प्रयास करेंगे जो अकादमिक जगत में लगभग अनछुए रहा है।

विषय-वस्तु वैचारिक मतों का योगदान- भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाओं की उपस्थिति हमारे भारतीय इतिहास में एक अनमोल अध्याय है। ये महिलाएं न केवल स्वतंत्रता संग्राम की नायिका थी बल्कि एक नए राष्ट्र के संवैधानिक ढांचे को आकार देने वाली दूरदर्शी व्यक्तित्व भी थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों को जैसे :- शिक्षा, संपत्ति, असमानता, अस्पृश्यता, बाल विवाह, तलाक, प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार, महिला श्रमिक, लैंगिक असमानता, अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी महिला सदस्यों ने संविधान सभा में तर्क-वितर्क के माध्यम से अपने विचार रखे।

शोध के उद्देश्य-

1. प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान सभा (1946-1950) में महिला सदस्यों के वैचारिक योगदान का ऐतिहासिक विश्लेषण करना है।
2. संविधान सभा में महिला सदस्यों की भूमिका एवं योगदान का अध्ययन करना।
3. संवैधानिक बहसों में महिलाओं द्वारा उठाए गए प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण करना।
4. लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, अस्पृश्यता उन्मूलन तथा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित वैचारिक मुद्दों का अध्ययन करना।
5. हंसा मेहता, दक्षायणी वेलायुथन, राजकुमारी अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन और एनी मैस्कारीन जैसी महिला सदस्यों के योगदान का मूल्यांकन करना।
6. संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महिला सदस्यों के विचारों और प्रयासों के महत्व को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझना।

एनी मैस्कारीन (1902-1963)- एनी मैस्कारीन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनेता थी 1946 में एनी त्रावनकोर कोचीन रियासत से संविधान सभा के लिए चुनी गई यह संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थी इन्होंने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी ने संविधान में 'संघवाद के मुद्दे' पर अपने विचार व्यक्त किये साथ ही साथ संविधान सभा और बाद में

लोकसभा में महिलाओं के 'प्रतिनिधित्व की समस्या' को भी उठाया। उनकी शिक्षा ने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रियता और संविधान सभा की संवैधानिक प्रक्रिया में अपने मुद्दे रखने के लिए एक मजबूत आवाज प्रदान की। एनी मैस्कारिनी 'हिंदू कोड बिल' की जांच के लिए गठित 'चयन समिति' की सदस्य थी यह बिल महिलाओं के अधिकारों जैसे- संपत्ति, विवाह, और तलाक में सुधारों को संबोधित करता था उनकी कानूनी पृष्ठभूमि ने उन्हें इस समिति में प्रभावी योगदान देने में मदद की। 'हिंदू कोड बिल' ने संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) जैसे सिद्धांतों को लागू करने में आधार प्रदान किया। इनके इस हस्तक्षेप ने लोगों में समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। एनी मैस्कारिनी ने अपने कार्यों से भारत के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया।

संघवाद के मुद्दे: - संविधान सभा में एनी ने 'संघवाद के मुद्दे' पर अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने तर्क दिया कि भारत जैसे विविध देश में एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ-साथ राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण संविधान की सातवीं अनुसूची (केंद्र और राज्य सूचियां) और अनुच्छेद 246 (केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां) कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा करता है उनकी यह वकालत त्रावनकोर जैसी रियासती क्षेत्र की चिंताओं को संबोधित करती थी।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: - एनी मैस्कारिनी ने संविधान सभा और बाद में लोकसभा में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को उठाया और उन्होंने तर्क दिया है कि महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर मिलने चाहिए जो संविधान के समानता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप था। उनकी यह मांग बाद में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण (73 वां संविधान संशोधन 1992) जैसे सुधारों का आधार बनी।

सामाजिक और आर्थिक सुधार: - एक कैथोलिक के रूप में एनी ने अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप में वंचित समुदायों के अधिकारों की वकालत की उन्होंने अनुच्छेद 25-28 (धार्मिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 29-30 (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) जैसे प्रावधानों का समर्थन किया उनकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि ने उन्हें संविधान सभा में सामाजिक न्याय और समावेशित के लिए मजबूत किया।

हंसा जीवराज मेहता (1897-1995)- हंसा मेहता संविधान सभा की सबसे प्रमुख महिला सदस्यों में से एक थी जिन्हें 'भारतीय गणराज्य की संस्थापक माँ' के रूप में जाना गया हंसा मेहता का जन्म 1897 में बड़ोदरा में नंदशंकर मेहता के यहां हुआ हंसा मेहता ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र एवं पत्रकारिता में अध्ययन किया हंसा मेहता एक समाज सुधारक, शिक्षिका और लेखिका भी थी हंसा मेहता मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य, सलाहकार समिति तथा प्रांतीय संवैधानिक समिति की सदस्य भी रही थी। ये बंबई विधानसभा से चुनकर संविधान सभा में पहुंची थी 1945 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 'भारतीय महिला चार्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज' (अधिकार एवं कर्तव्यों के चार्टर का प्रारूप) का मसौदा तैयार करने की पहल की। कमला देवी, रेणुका रे ने इसे सामूहिक रूप से तैयार किया हंसा मेहता ने संयुक्त राष्ट्र में अपने अनुभवों को सभा में शामिल किया ये 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' की अध्यक्ष भी थी हंसा मेहता ने सभा सत्र के दौरान 'हिंदू कोड बिल' पर संविधान सभा की चर्चा में भाग लिया इन्होंने प्रस्तावित विधायक में गोद लेने के प्रावधानों की कड़ी आलोचना की उन्होंने संविधान सभा को याद दिलाया कि "हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में हैं और हिंदू कानून में गोद लेना धार्मिक उद्देश्यों के लिए है तो यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का धार्मिक रीति रिवाज से कोई लेना-देना

नहीं होना चाहिए" इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण के विरोध एक तर्क दिया उन्होंने कहा कि "हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग की है न कि कोटा और पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की" इन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के लिए 'समान नागरिक अधिकारों' की मांग भी की। हंसा मेहता अगस्त 1946 में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला गठबंधन' की उपाध्यक्ष चुनी गईं। इन्होंने कैबिनेट मिशन और महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य निकायों के सामने चार्टर पेश किए।

वहीं राजकुमारी अमृत कौर के साथ भारत की संविधान सभा की 'मौलिक अधिकार समिति' के लिए चुनी गईं इन्होंने इस सभा की चर्चाओं के दौरान महत्वपूर्ण हस्तक्षेप भी किए संविधान सभा की सदस्य के रूप में इन्होंने देश के संविधान को आकार देने और 'समानता की वकालत' करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत की महिलाओं की ओर से पहला राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करने का उनका यह कार्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नए युग में महिलाओं द्वारा निभाई गई अभिन्न भूमिका का प्रतीक था। हंसा मेहता ने यूनेस्को के बोर्ड में भी कार्य किया और बड़ोदरा में एम. एस. विश्वविद्यालय की पहली कुलपति भी बनी हंसा मेहता ने 19 दिसंबर 1946 के भाषण में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत की जो उनके भाषण में दिखाई देती है वो कहती है कि स्वतंत्र भारत का आशय केवल स्थिति की समानता से नहीं बल्कि अवसर की समानता से भी होगा। लिंग तटस्थ भाषा संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार परिषद में उनकी नियुक्ति इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था क्योंकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में "सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं वाक्यांश को सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया"

दक्षायनी वेलायुथन (1912-1978)- दक्षायनी वेलायुथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा में चुनी जाने वाली एकमात्र दलित महिला थी वह केरल की पुलाया जाति से संबंधित थी केरल की पुलाया समुदाय में जन्मी दक्षायनी वेलायुथन को कोचीन और त्रावनकोर में उच्च जाति समुदाय द्वारा तीव्र भेदभाव का सामना करना पड़ा भारत में दलित समुदाय के अधिकारों एवं संविधान सभा में बी. आर. अंबेडकर के योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। बी.आर. अंबेडकर दलितों के मसीहा रहे हैं लेकिन क्या हमारे संविधान सभा में निर्वाचित पहली दलित महिला किसी को याद है? वेलायुथन संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी दक्षायनी वेलायुथन औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाली पुलाया समुदाय की पहली व्यक्ति थी दलित अधिकारों से जुड़े कई अन्य मुद्दों के खिलाफ लड़ने के लिए वेलायुथन ने अंबेडकर के साथ हाथ मिलाया दक्षायनी वेलायुथन संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य (32 वर्षीय) थी।

अस्पृश्यता:- दक्षायनी वेलायुथन गांधी और अंबेडकर के साथ बिताए समय से प्रेरित और प्रभावित थी इन्होंने संविधान सभा को संविधान निर्माण से आगे ले जाने तथा लोगों को जीवन का एक नया ढांचा देने का प्रयास किया। इस अवसर पर इन्होंने अस्पृश्यता को अवैधानिक और गैरकानूनी बनाने तथा भारत में वंचित वर्ग को वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने वाली सुनियोजित नीतियों को सुनिश्चित करना था। इन्होंने संविधान सभा में अस्पृश्यता का मुद्दा उठाया। यह एक कट्टर गांधीवादी थी इन्होंने संविधान सभा की बहस के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। तथा दलितों के मुद्दों पर भी बी. आर. अंबेडकर का साथ दिया वह अंबेडकर से सहमत थी कि उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी है इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया और संविधान के (अनुच्छेद 17) का समर्थन किया जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है।

इन्होंने (अनुच्छेद 17) पर अपने विचार प्रस्तुत किए जिसका उद्देश्य जाति के आधार पर भेदभाव को रूकना था उनका यह दृढ़ विश्वास था कि केवल एक 'स्वतंत्र समाजवादी गणराज्य' ही दलितों के उत्थान में मदद कर सकता है तथा उन्हें अन्य नागरिकों जैसी समानता और स्वतंत्रताएं प्रदान कर सकता है। 8 नवंबर 1948 को जब डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने चर्चा के लिए संविधान का मसौदा पेश किया तो उन्होंने मसौदे की सराहना की और अधिक विकेंद्रीकरण का आवाहन किया उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संविधान के अंतिम मसौदे को आम चुनाव के बाद समर्थन के माध्यम से अपनाया जाना चाहिए। 29 नवंबर 1948 को फिर से हस्तक्षेप किया तब जब मसौदा (अनुच्छेद 17) पर चर्चा हो रही थी जिसका उद्देश्य जाति के आधार पर भेदभाव को रोकना और संविधान सभा के उपाध्यक्ष ने उन्हें समय सीमा पार करने की अनुमति दी जिन्होंने कहा "यह केवल इसलिए है क्योंकि आप एक महिला हैं मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ" वेलायुथन अपने प्रयत्नों के माध्यम से गैर भेदभाव प्रावधानों को लागू करने का आवाहन किया और बताया कि अगर संविधान सभा जाति भेदभाव की निंदा करने वाले प्रस्ताव का समर्थन करती है तो यह एक बड़ा सार्वजनिक संकेत रहेगा जनता के लिए। उन्होंने कहा कि संविधान का काम करना इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग भविष्य में खुद को कैसा महसूस और संचालित करते हैं।

राजकुमारी अमृत कौर (1889-1964)-राजकुमारी अमृत कौर 1947 में संयुक्त प्रांत से भारत की संविधान सभा के लिए चुनी गईं इन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर राजकुमारी अमृत कौर ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। गोपाल कृष्ण गोखले के जेरिए के ही राजकुमारी अमृत कौर ने गांधी के बारे में जाना और तभी से राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कट्टर अनुयायी हो गईं 1930 में उन्होंने राजमहल त्याग दिया और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ी राजकुमारी अमृत कौर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य बनाया इन्होंने संविधान सभा में स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों में योगदान दिया। इन बहसों ने यह स्पष्ट किया कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तनों का माध्यम भी बनेगा संविधान सभा की महिला सदस्यों की प्रगतिशील दृष्टि ने समाज में समानता और न्याय के मूल्यों को मजबूत किया भारतीय संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार करने में महिला सदस्यों ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई उन्होंने तर्क दिया कि "मताधिकार किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है बल्कि हर नागरिक की लोकतांत्रिक पहचान" सभा में महिलाओं ने कहा कि आधी आबादी को मताधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के आदर्शों के विपरीत है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :- अमृत कौर ने संविधान सभा में 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' की भी वकालत की और ये महिलाओं के लिए आरक्षण में विश्वास नहीं रखती थी अमृत कौर 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुईं और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए उत्साहित थी। इन्होंने संविधान सभा में एक 'समान नागरिक संहिता' के प्रस्ताव का भी समर्थन किया, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित भाषा पर बहस की। राजकुमारी अमृत कौर आरक्षण में विश्वास नहीं करती थी उनका मानना था कि सच्ची समानता तभी है जब महिलाएं आरक्षण के बजाय साधारण चुनावों के माध्यम से विधायिका में पहुंचेंगी। इन्होंने हंसा मेहता के साथ मिलकर 'समान नागरिक संहिता' की वकालत की राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (एम्स) की संस्थापक भी थी।

अम्मू स्वामीनाथन (1894-1978)-अम्मू स्वामीनाथन एक सेनानी, भारतीय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थी भारत की संविधान सभा में 1947 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनी जाने वाली महिला सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन निडर, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ-साथ एक कट्टर जाति विरोधी कार्यकर्ता भी थी। तथा स्वामीनाथन कई सांस्कृतिक और सामाजिक, राजनीतिक संगठन से जुड़ी थी। 1960-1965 तक स्वामीनाथन ने 'भारत स्काउट एंड गाइड्स' के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया अम्मू स्वामीनाथन को **अम्मूकुट्टी** के नाम से भी जाना जाता है उच्च जाति में जन्मी अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा में सभी के लिए समान व्यवहार की वकालत करने के लिए जानी गईं। 1947 में अम्मू स्वामीनाथन मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी इन्होंने 24 जनवरी 1949 को संविधान के मसौदे पर अपना भाषण दिया। गांधी जी के अनुयायी के रूप में अम्मू स्वामीनाथन ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी आंदोलन ने भारत को आजादी दिलाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समानता :- स्वामीनाथन ने संविधान सभा में 'वयस्क मताधिकार' का समर्थन किया तथा अस्पृश्यता को हटाने का पुरजोर समर्थन किया ये मुद्दे सामाजिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जब संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो अम्मू स्वामीनाथन ने कहा की "बाहर के लोग कहते रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए अब हम कह सकते हैं कि जब भारत के लोगों ने खुद अपना संविधान बनाया तो उन्होंने महिलाओं को देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर अधिकार दिए" स्वामीनाथ के बाल विवाह से संबंधित व्यक्तिगत अनुभवों ने 'बाल विवाह निरोधक अधिनियम' और 'सहमति की आयु अधिनियम' के लिए उन्होंने वकालत की। इन्होंने 'हिंदू कोड बिल' का भी समर्थन किया जिसका उद्देश्य हिंदू धार्मिक कानून में सुधार करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। 1917 में अम्मू स्वामीनाथन ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर महिला श्रमिकों के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से संबंधित परेशानियों से निपटने के लिए इस '**महिला भारत संगठन**' की स्थापना की।

निष्कर्ष:- संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए दिशा निर्देश का कार्य करता है भारतीय संविधान सभा में संविधान आधिकारिक शुरुआत से लेकर आज तक अपनी कसौटियों पर खरा उतरा है। इसने महिला सदस्यों की संकल्पना और विश्वासों को सही सिद्ध किया है संविधान सभा में महिला सदस्यों द्वारा रखे गए अपने व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों, मुद्दों ने भारतीय संविधान की नींव को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाया इसने भारत में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता की नींव रखी। इन 15 महिलाओं ने संविधान निर्माण से लेकर समाज निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा मेहता, दक्षायनी वेलायुथन, अम्मू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर और उनकी सहयोगी महिलाओं ने एक पितृसत्तात्मक समाज में अपनी आवाज उठाई और संविधान को समानता और न्याय का आधार बनाया तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो समय की सीमाओं से परे है। इन महिला बुद्धिजीवी स्वतंत्रता सेनानियों ने न केवल भारतीय संविधान सभा में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में महिला जागरूकता को भी बढ़ाया। भारत में संविधान की सफलता इस बात में निहित है कि संविधान की रचना स्वयं भारत के लोगों द्वारा की गई और संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसे संविधान की रचना की जो हमारे राष्ट्र की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। हमने देखा कि इन महिलाओं की यात्रा स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुई जहाँ इन्होंने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया कुछ महिलाएं तो जेल की सलाखों के पीछे भी गईं और

आंदोलन को एक मजबूती प्रदान की। संविधान सभा की महिला सदस्यों ने अपनी सीमित उपस्थिति के बावजूद भी गहन और व्यापक विचार प्रस्तुत किए इन 15 महिला सदस्यों का संविधान सभा में अपना-अपना अलग-अलग योगदान है जिसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनका उद्देश्य केवल महिलाओं के लिए अधिकार सुनिश्चित करना नहीं था बल्कि पूरे समाज को न्याय, क्षमता और गरिमा प्रदान करना था उनका यह संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है।

संदर्भ सूची:

1. मेहता, हंसा, मेरी संवैधानिक यात्रा, मुंबई: नारी प्रकाशन, 1962
2. सिंह, अनामिका, संविधान, लोकतंत्र और स्त्री विमर्श, पटना: ज्ञानदीप प्रकाशन, 2019
3. पांडेय, वीर, संविधान सभा में महिला सदस्य: भूमिका और योगदान, पटना: नारी अध्ययन केंद्र, 1990
4. शर्मा, यशपाल, संविधान सभा की बहसे: एक विशेषण, दिल्ली: आर्यावर्त प्रकाशन, 2005
5. कौर, अमृत, समाज सुधार और महिला अधिकार, नई दिल्ली: स्त्री शक्ति प्रकाशन, 1965
6. आंबेडकर, भीमराव, भारत का संविधान: निर्मिती और विचार, नई दिल्ली: प्रकाशन संस्था, 1995
7. उज्जवल, मधुलिका सिंह, संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका, गौतम बुक कंपनी, 2023
8. वाशिष्ठ, सरिता, महिला सशक्तिकरण, कल्पना प्रकाशन, 2010
9. मेनन, रितु, कर्मठ महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2005
10. अहमद, फरीद, संविधान निर्माण की नारिकाएं, अल्ट्रा क्रिएशन प्रकाशन, 2021
11. शारंगदेवोत, एस.एस. हम भारत की महिलाएं: भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में महिला प्रतिनिधि, क्रिसेंट पब्लिकेशन दिल्ली, 2024
12. पाण्डेय, जय नारायण, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2023
13. आंबेडकर, बी. आर. भारत का संविधान, जैन बुक एजेंसी दिल्ली, 2018